प्र.सं. 58/2019 प्रा. पत्र बाबत नाम दुरूस्ती
बोहड़ सिंह बनाम सरकार
जीसीएमएस : 2019/00290

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी किए
11.11.2021	पत्रावली आज प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 कैम्प ग्रा.पं. संगराना में पेश हुई। रिपोर्ट उप तहसीलदार गजसिंहपुर क्रमांक/भू.अ./753 दिनांक 11.11.2021 पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर चक 76 आरबी खाता सं. 46 मु.नं. 4 व 26 की भूमि में प्रार्थी बोहड़ सिंह पुत्र अजायब सिंह के स्थान पर दुरूस्ती की जाकर बोहड़ सिंह पुत्र मिठूसिंह अंकित करने हेतु निवेदन किया हैं। मुताबिक रिपोर्ट उपतहसीलदार गजसिंहपुर के चक 76 आरबी प.नं. 240/259 मु.नं. 4 प.नं. 243/263 मु.नं. 26 का 1.540है. रकबा बोहड़ सिंह पुत्र अजायब सिंह जाति जटसिख निवासी देह के नाम खतेदार दर्ज हैं। मुताबिक जांच पड़ताल व दस्तावेज के बोहड़ सिंह के पिता का नाम मिठू सिंह होना बताया हैं। बोहड़ सिंह पुत्र अजायब सिंह के स्थान पर बोहड़ सिंह पुत्र मिठू सिंह किया जाना उचित हैं। प्रार्थी द्वारा उक्त नाम परिवर्तन के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये हैं। साक्ष्य प्रस्तुत करने के पश्चात ही नाम परिर्वतन किया जाना उचित होगा। इस संबध में प्रार्थी ने निवेदन किया हैं कि उनके द्वारा समस्त दस्तावेज पत्रावली में पूर्व में प्रस्तुत कर दिये हैं, प्रार्थना पत्र स्वीकार कर दुरूस्ती आदेश पारित करने हेतु निवेदन किया। प्रार्थी द्वारा इस बाबात मौका पर शपथ पत्र स्टाम्प पत्र रूपये 100 पर प्रस्तुत किया गया हैं। प्रकरण में तहसीलदार रायसिंहनगर द्वारा प्राप्त रिपोर्ट क्रमांक/भू.अ./2020/612 दिनांक 26.02.2020 के अनुसार मिठु सिंह के फौत होने पर इं. सं. 291 मु.नं. 4 व 8 की 3.666है. नहरी विरास्तन दर्ज किया गया जिसमें बोहड़सिंह पुत्र मिठुसिंह वारिस अंकित हैं। ऐसी स्थिति में रिपोर्ट उपतहसीलदार गजसिंहपुर के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं। अतः उक्त विवेचन प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र, रिपोर्ट तहसीलदार एवं रिपोर्ट उप तहसीलदार गजसिंहपुर के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता हैं तथा चक 76 आरबी प.नं. 240/259 मु.नं. 4 प.नं. 243/263 मु.नं. 26 का 1.540है. भूमि में खातेदार के नाम बोहड़ सिंह पुत्र अजायब सिंह की दुरूस्ती कर बोहड़ सिंह पुत्र मिठु सिंह उर्फ अजायब सिंह दर्ज करने के आदेश तहसीलदार रायसिंहनगर को दिए जाते हैं। शेष अंकन यथावत रहेगा। आदेश की प्रति तहसीलदार रायसिंहनगर को पालनार्थ प्रेषित की जावे। निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 11.11.2021 को सुनाया जाकर मजमा–ए–आम में सुनाया गया। (अर्पिता सोनी) उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर कैम्प – 84 आरबी बी	

Signature Not Verified
Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2022.02.21 17:22:07 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner